न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः—करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 147/2013

आरसीएमएस नं. 2013/00183

1. जालूराम
2. चेतराम
3. चुन्नीराम
4. रूपराम
5. बलवीर सिंह

पिसरान श्री जयमलराम अकवाम जाट निवासी मानूका तहसील व व जिला हनुमागनढ।

—अपीलांट

बनाम

1. नक्षत्र सिंह पुत्र स्वर्गीय नायब सिंह जाति जटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जगसीर सिह पुत्र स्वर्गीय नायब सिंह जाति जटसिख निवासी सरदारशहर जिला चुरू
3. मुखत्यार कौर पुत्री नायब सिह जाति जटसिख निवासी माणूका तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. छिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री नायबसिंह जाति जाटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. पोला सिह
6. ठाना सिंह
7. गुरचरण सिंह
8. सुखमिन्द्र सिह

पिसरा स्वर्गीय निक्का सिंह अकवाम जटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

9. मु0 गुरो पत्नी हरदीप सिह
10. मु0 गुड्डी पत्नी नाम नामालूम
11. मु0 छोटी गुड्डी पत्नी नाम नामालूम

पुत्रियां निक्का सिह जाति जटसिख निवासी फरीदकोटली पंजाब।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

12. महेन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिह पुत्री निक्का सिह जाति जटसिख निवासी गरख्खेड़ा तहीसल सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
13. जसवीर कौर बेवा हरनेक सिंह पुत्र अजायब सिंह
14. हरवीर सिह
15. करणवीर सिह
16. हरप्रीत कौर

} पिसरान हरनेक सिंह पुत्र अजायब सिह } जाति जटसिख निवासी देवन खेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर

17. छिन्द्रपाल कौर पुत्री अजायब सिंह
18. सुखपाल कौर पुत्री अजायब सिंह
19. महेन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिह
20. जवाहर सिंह पुत्र अजायब सिह
21. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 व 17.03.2011
द्वारा सहायक कलक्टर, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 125/208 (411/86, 224/2007)
अनवान नायब सिंह बनाम निक्का सिह आदि

उपस्थितिः—

श्री बलविन्द्र सिह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 21

निर्णय दिनांक 3.3.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी नायबसिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया। जिसमें यह अनुतोष चाहा कि चक 23, 24, 25, 27 एमएमके की कुल 63.05 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सुयक्त रूप से 49 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.02.2001 के द्वारा वाद खारिज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत खाता विभाजन स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि प्रतिवादी सं0 2 के नाम दर्ज 1/4 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि के विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार हनुमानगढ को कमिश्नर नियुक्त्त कर मंगवाए जावें। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव आने पर विचारण न्यायलाय ने दिनांक 28.02.2011 को अंतिम निर्णय एवं दिनांक 17.03.2011 को अंतिम डिक्री पारित की, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 20 की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। लिहाजा अपीलांट एवं रेस्पोडण्ट सं0 21 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/8 जो कि इस अपील में बतौर प्रत्यर्थीगण संख्या 13 ता 18 हैं के विभजान में चक 24 एम.एम.के प. नं. 88/198 के किला नं. 23/1/.215 हैक्टेयर दर्शायी हैख जबकि यह भूमि वाद संख्या 125/2008 में विवादित ही नहीं थी। ऐसी अवस्था में जबकि उक्त राजस्व वाद के वादी नायब सिंह एवं प्रतिवादी निक्कासिह वगैरा के अभिवचनों में उपरोक्त वादाधीन किला नं. 23 के बारे में कोई अनुतोष ही नहीं चाहा गया था। ऐसी अवस्था में एक अलग खाता की भूमि में से उक्त वर्णित किला नं. 23 को उठाकर अपीलकृत निर्णय व डिक्री में सम्मिलित करते हुए आदेश पारित कर दिया गया ऐसा आदेश किसी भी प्रकार से विधि द्वारा समर्थित नही है। विभाजन के रूप में जमाबंदी में इस संयुक्त खाता की हिस्सा कस्सी में दिखाना किसी भी प्रकार से न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। चक 24 एमएमके के खाता सं0 36/63 की विवादित भूमि के सभी सहखातेदारों को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिसमें अपीलार्थीगण की सम्मिलित हैं। विवादित किला नं0 23 घरेलू बंटवारा में अपीलार्थीगण के कब्जा काश्त में चला आ रहा है। यह भूमि अपीलार्थीगण के द्वारा विक्रेतागण सरजीत सिह आदि पिसरान श्री लालसिंह से जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 07.09.193 एवं प्रीत सिह, बलवीरहि व शिवराज सिंह पिसरान श्री लालसिंह से अन्य बैयनामा दिनांक 28.08.1981 के द्वारा खरीद कर कब्जा हासिल किया हुआ है। इस बैयनामों की रूह से अपीलार्थीगण भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

काबिज चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि के हितबद्ध, आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हें पक्षकार संयाजित किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की भूमि को दीगर काश्तकारों के विभाजन में दर्शाकर उसकी स्वअर्जित सम्पति से वंचित किया है व इस प्रकार से अपीलकृत निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में नायबसिह ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का वाद पेश किया, जिसमें यह अनुतोष चाहा कि चक 23, 24, 25, 27 एमएमके की कुल 63.05 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सुयक्त रूप्प से 49 बीघा 9 बिस्वा के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 5 का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 19.02.2001 के द्वारा वाद खारिज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत खाता विभाजन स्वीकार करते हुए दिनांक 28.02.2011 को अंतिम निर्णय एवं दिनांक 17.03.2011 को अंतिम डिक्री पारित की है। प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/8 जो कि इस अपील में बतौर प्रत्यर्थीगण संख्या 13 ता 18 हैं के विभजान में चक 24 एम.एम.के प. नं. 88/198 के किला नं. 23/1/.215 हैक्टेयर दर्शायी है, जबकि यह भूमि वाद संख्या 125/2008 में विवादित ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में जबकि उक्त राजस्व वाद के वादी नायब सिंह एवं प्रतिवादी निक्कासिह वगैरा के अभिवचनों में उपरोक्त वादाधीन किला नं. 23 के बारे में कोई अनुतोष ही नहीं चाहा गया था तो एक अलग खाता की भूमि में से उक्त वर्णित किला नं. 23 को उठाकर अपीलकृत निर्णय व डिक्री में सम्मिलित कर आदेश पारित किया जाना किसी भी प्रकार से विधि द्वारा समर्थित नही है। इस प्रकार उक्त किला नं. 23 की .215 है0 भूमि विवादित आराजी नहीं व रेस्पोडेण्ट द्वारा इस आराजी को वाद में शामिल भी नहीं किया था तथा विभाजन प्रस्ताव में भी उक्त आराजी बाबत किसी प्रकार का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन प्राप्त नहीं हुआ था न ही इस आराजी बाबत कोई जमाबंदी प्रस्तुत की गई व उक्त किला नं. 23 की आराजी के खातेदार काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया व उक्त .215 है0 आराजी अपीलांटान के खाता में कम किये जाने के कारण खाता अपवादित हो गया है। ऐसी स्थिति में चक 24 एमएमके प. नं. 88/198 (9) –23/.215 है0 की हद तक अपीलाधीन निर्णय 28.02.2011 व डिक्री दिनांक 17.03.2011 अपास्त किये जाना न्यायोचित हैं।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय 28.02.2011 व डिक्री दिनांक 17.03.2011 को चक 24 एमएमके प. नं. 88/198 (9) –23/.215 है0 की हद तक अपास्त किया जाता है तथा उक्त .215 है0 आराजी वर्तमान खाता सं0 68/41 चक 24 एमएमके खाता इकबाल कौर आदि में शामिल किया जाकर अपीलाण्ट सं0 1 जालूराम का राजस्व रिकार्ड में .314 के स्थान पर .312 हिस्सा दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.20 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/1/20

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 147/2013
आरसीएमएस नं. 2013/00183

1. जालूराम
2. चेतराम
3. चुन्नीराम
4. रूपराम
5. बलवीर सिंह

पिसरान श्री जयमलराम अकवाम जाट निवासी मानूका तहसील व व जिला हनुमागनढ।

—अपीलांट

बनाम

1. नक्षत्र सिंह पुत्र स्वर्गीय नायब सिंह जाति जटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. जगसीर सिह पुत्र स्वर्गीय नायब सिंह जाति जटसिख निवासी सरदारशहर जिला चुरू
3. मुखत्यार कौर पुत्री नायब सिह जाति जटसिख निवासी माणूका तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. छिन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री नायबसिंह जाति जाटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. पोला सिह
6. ठाना सिंह
7. गुरचरण सिंह
8. सुखमिन्द्र सिह

पिसरान स्वर्गीय निक्का सिंह अकवाम जटसिख निवासी माणुका तहसील व जिला हनुमानगढ।

9. मु0 गुरो पत्नी हरदीप सिह
10. मु0 गुड्डी पत्नी नाम नामालूम
11. मु0 छोटी गुड्डी पत्नी नाम नामालूम

पुत्रियां निक्का सिह जाति जटसिख निवासी फरीदकोटली पंजाब।

12. महेन्द्र कौर पत्नी सुखदेव सिह पुत्री निक्का सिह जाति जटसिख निवासी गररखेड़ा तहीसल सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
13. जसवीर कौर बेवा हरनेक सिंह पुत्र अजायब सिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

14. हरवीर सिह
15. करणवीर सिह
16. हरप्रीत कौर
17. छिन्द्रपाल कौर पुत्री अजायब सिंह
18. सुखपाल कौर पुत्री अजायब सिंह
19. महेन्द्र सिंह पुत्र अजायब सिह
20. जवाहर सिंह पुत्र अजायब सिह
21. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

पिसरान हरनेक सिंह पुत्र अजायब सिह जाति जटसिख निवासी देवन खेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2011 व 17.03.2011
द्वारा सहायक कलक्टर, हनुमानगढ
प्रकरण संख्या 125/208 (411/86, 224/2007)
अनवान नायब सिंह बनाम निक्का सिह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिह, अभिभाषक अपीलार्थी श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 21 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय 28.02.2011 व डिक्री दिनांक 17.03.2011 को चक 24 एमएमके प. नं. 88/198 (9) –23/.215 है0 की हद तक अपास्त किया जाता है तथा उक्त .215 है0 आराजी वर्तमान खाता सं0 68/41 चक 24 एमएमके खाता इकबाल कौर आदि में शामिल किया जाकर अपीलाण्ट सं0 1 जालूराम का राजस्व रिकार्ड में .314 के स्थान पर .312 हिस्सा दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 3.3.23 को जारी की गई।

31/3/23
(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ